बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

पटना, दिनांक 30/11/2019

संख्या–10/मु0–148/2019 ...1360/ प्रश्नगत मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No–14154/2019 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 19.08.2019 के आलोक में मेरे समक्ष निर्दिष्ट बिन्दुओं पर विचारण हेतु उपस्थापित किया गया है। उक्त न्यायनिर्णय दिनांक 19.08.2019 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"Let this matter be looked into by the Principal Secretary, Education Department, Govt. of Bihar who will examine the validity of the instruction issued by the Chairman of the Bihar State Madarsa Education Board and whatever grievance the petitioner has, he will be at liberty to raise the same before him and the Principal Secretary will take a decision in accordance with law.

If an application is filed by the petitioner before the Principal Secretary, Education Department within a period of four weeks from today, he will decide the same expeditiously preferably within a period of eight weeks from the date of filing of the application by the petitioner along with a copy of this order.

If the petitioner is further aggrieved by any order, he will be at liberty to challenge the same before the appropriate forum.".

2. संबंधित रीट याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने निम्नवत मूलतः दो बिन्दुओं (two fold reliefs) हेतु याचना की गई है:–

(क) अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा 1127 स्वीकृत मदरसों के प्रबंध समिति को Society Registration Act-1860 के तहत अनिवार्य रूप से निबंधित करवाने हेतु निदेश (instruction) को निरस्त किया जाय। आवेदक ने मदरसों में कार्यरत कर्मी के सेवाशर्त में अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा हस्तक्षेप किये जाने को भी चुनौती दी गई है।

(ख) आवेदक ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 08.06.2019 ज्ञापांक 4950–53 जिसके द्वारा अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्नगत मदरसा का गठन करते हुए आवश्यक निर्णय लिये जाने का निदेश दिया गया है, को निरस्त करने हेतु याचना की गयी। मदरसों का संचालन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। प्रबंध समिति का गठन स्थानीय जनता की सहमति से किया जाता है। मदरसों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति भी प्रबंध समिति में निहित होती है।

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के आदेश के आलोक में आवेदक ने एक विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक 05.09.2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया। आवेदक के अभ्यावेदन पर सुनवाई हेतु सभी संबंधित पक्ष यथा वादी एवं सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को अपना पक्ष रखने एवं सम्पूर्ण संगत अभिलेख के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित होने के लिए सूचना निर्गत की गई।

4. उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 12.10.2019 को सम्पन्न हुई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 रासीद आलम तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शहजाद हसन खॉन एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव उपस्थित हुए।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की धारा 7 (2) (n) के तहत प्रबंध समिति का गठन का प्रावधान है, जिसमें हेड मौलवी, दो दानदाता प्रतिनिधि, एक शिक्षक प्रतिनिधि, दो अभिभावक प्रतिनिधि, मदरसा बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य, दो अन्य व्यक्ति जिसे मदरसा शिक्षा एवं ईस्लामिक शिक्षा में रूचि हो तथा जिसे उपर्युक्त सात सदस्यों द्वारा Co-opt किया गया हो।

आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि 1993 के उपरान्त बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को मदरसा के प्रबंध समिति के गठन एवं विघटन की शक्ति को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अंजुमन अहले हदीस, दरभंगा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के केस में निरस्त (struck down) कर दिया गया है, जो कि 1985 P.L.J.R. 837 में प्रकाशित किया गया है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी संपुष्ट कर दिया गया है जो 1994 Suppl (2) SCC 509 में प्रकाशित है।

आवेदक ने यह भी दावा किया है कि मदरसा बोर्ड अधिनियम की धारा–7 के तहत मदरसों का पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण मदरसा बोर्ड में निहित है, न की अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में यह शक्ति निहित है।

आवेदकों ने यह भी दलील दी है कि अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने पदासीन होते ही 1127 स्वीकृत मदरसों को तीन माह के अन्दर Society Registration Act-1860 के तहत निबंधन की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है, जिसका अधिकार अध्यक्ष को नहीं है।

6. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपना तर्क रखा। सर्वप्रथम मदरसा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने यह आपत्ति दर्ज की गई कि आवेदक द्वारा संबंधित मदरसा के सचिव के हैसियत से यह आवेदन दाखिल किया था, जबकि उनका यह दावा पूर्णतः गलत, भ्रामक एवं बेबुनियाद है। आवेदक किसी भी रूप में संबंधित मदरसा से सम्बद्ध नहीं है और न ही यह किसी रूप से व्यथित है तथा इनका कोई locus standi नहीं है। इस प्रकार इनका आवेदन maintainable नहीं है तथा यह खारिज होने के योग्य है। इतना ही नहीं आवेदक ने अपने को self styled सचिव के रूप में लेटर पैड का प्रयोग करने के फलस्वरूप इन्हें जालसाजी कार्य करने के आरोप में संबंधित मदरसा के हेड मौलवी श्री मसरूर अहमद ने आवेदक के विरूद्ध एक शिकायत Complaint Case No–149/2019 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 420, 467, 468, 471/34 के तहत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर के समक्ष दाखिल की गई है।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तथ्य रखा कि स्वीकृत मदरसों को Society Registration Act-1860 के तहत निबंधित करवाने का निर्णय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक दिनांक 01.02.2019 (प्रस्ताव संख्या–6) में लिया गया था, जिसके कार्यान्यवन हेतु अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने निर्देश निर्गत किया गया था।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मदरसा बोर्ड के अनुदेश (instruction) को स्वीकार करते हुए अबतक कुल छः सौ मदरसों ने Society Registration Act-1860 के तहत अपना निबंधन करा लिया है।

7. उभय पक्षों के अभ्यावेदन, संगत कागजातों एवं सुनवाई के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि Society Registration Act-1860 के तहत निबंधन का अनुदेश बोर्ड की दिनांक 01.02.2019 द्वारा अनुमोदित है तथा अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसे कार्यान्वित करने हेतु निदेश दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया है।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा 7 (2) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि "इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गयी नियमावली एवं

विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड को मदरसा शिक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का शक्ति होगी जिसका विवरण 7 (2) (क) से (न) तक उल्लिखित है।"

यह निर्विवाद तथ्य है कि मदरसों के Society Registration Act-1860 के तहत निबंधन का मुख्य उद्देश्य आये दिन मदरसों में उत्पन्न होने वालों आपसी विवादों को नियंत्रित करना, अनावश्यक मुकदमेवाजी से बचाव क्योंकि संबंधित मदरसा के निबंधन के फलस्वरूप एक निश्चित रूपरेखा का अभिलेख तैयार हो जाने से एक सुव्यस्थित, स्वच्छ एवं शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सफलता मिलेगी। इसलिए बोर्ड के द्वारा मदरसों के रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए बोर्ड सक्षम है।

आवेदक द्वारा जहाँ तक मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र दिनांक–08.06.2019 ज्ञापांक–4950–53 को निरस्त करने हेतु याचना की गयी है। उक्त पत्र के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि संबंधित मदरसा के प्रबन्ध समिति के द्वारा ट्रस्ट बनाकर उसकी सूची मदरसा बोर्ड को समर्पित करते हुए अनुमोदन प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है ताकि ट्रस्ट के पदाधिकारीगण अपना कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कर सकें। अतः अध्यक्ष की स्वीकृति से सहायक सचिव, मदरसा बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक–08.06.2019 ज्ञापांक–4950–53 द्वारा प्रबन्ध समिति के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने कार्य सम्पादित करने हेतु मात्र अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र दिनांक–08.06.2019 ज्ञापांक–4950–53 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

जहां तक आवेदक द्वारा संबंधित मदरसा के सचिव के हैसियत से इस वाद को दाखिल करने का प्रश्न है, यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक उक्त मदरसा के सचिव के रूप में यह वाद लाया है, जबकि आवेदक उक्त मदरसा से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं है एवं न ही वे किसी रूप से व्यथित हैं। इस प्रकार इन्हें यह वाद दाखिल करने का locus standi नहीं है। इतना ही नहीं, आवेदक द्वारा उक्त मदरसा के सचिव के रूप में दर्शाते हुए सचिव के letter pad का इस्तेमाल करने के जुर्म में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal code) की धारा 341, 323, 420, 468, 471/34 के तहत परिवाद पत्र (complaint case) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर के समक्ष दाखिल की गयी है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदक के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(आर० के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव
बिहार सरकार।

ज्ञापांक : 10/मु0–148/2019 ....1360 पटना, दिनांक 30/11/2019

प्रतिलिपि : Md. Minnatullah, son of Md. Fazlur Rahman, resident of Village-Kurudih, P.S.-Goradih, District-Bhagalpur / Md. Abdul Wali, Secretary, Managing Committee of the Madrasa Kasheful Uloom Kurudih P.S.- Gauradih, District-Bhagalpur / District Education Officer Bhagalpur, Bhagalpur / अध्यक्ष / सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव 28/11/19
बिहार सरकार।